दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 26/03/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1.	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 एन0पी0 भोक्ता	प्र0 अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
3.	प्रो0 अरविन्द कुमार मिश्र	प्र0 अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4.	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5.	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6.	डॉ0 निजामुद्दीन	आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
7.	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
8.	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
9.	डॉ0 सरोज श्रीवास्तव	वरिष्ठ शिक्षक, डी0ए0वी0 डिग्री कालेज, गोरखपुर	सदस्य
10.	डॉ0 सुधाकर लाल श्रीवास्तव	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
11.	श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव	वित्त अधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	डॉ0 एस0के0 श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	प्रो0 अजेय कुमार गुप्ता	प्रभारी, ई0डी0पी0 सेल	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :

1. *विधि द्वितीय समेस्टर वर्ष–2015 के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों का शुल्क के अभाव में रोके गये परीक्षाफल को घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।*

निर्णय– (क) समिति को अधिष्ठाता छात्र कल्याण ने विधि द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2015 के अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पूरी तरह प्राप्त न होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा शुल्क के अभाव में रोके गये परीक्षाफल के सन्दर्भ में पूरे वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुऐ बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विधि प्रथम वर्ष सत्र 2014–15 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में माननीय कुलपति जी द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित किये गये पत्र सं0–16861/कुलपति/अ0छा0क0/2016 दिनांक 02/03/2016, जिसमें छात्र/छात्राओं के शुल्क प्रतिपूर्ति की शेष राशि विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

इसी क्रम में जिला समाज अधिकारी, गोरखपुर द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को अपने पत्र सं0–2087–88/स0क0/दशमोत्तर छात्रवृत्ति/2015–16 दिनांक 17/03/2016 द्वारा भी यह उल्लेख करते हुए – *"दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के विधि प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं की सत्र 2014–15 के विश्वविद्यालय के मास्टर डाटाबेस में शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि रू0 3665/– भरकर अपलोड की गयी थी, किन्तु ऑनलाईन आवेदन करते समय कुछ छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन के कालम संख्या–25 में अनुमोदित नॉनरिफण्डेबिल अनिवार्य शुल्क रूप में मात्र 172/– रू0 की धनराशि भरी गयी। चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं का प्रवेश निःशुल्क लिया जाता है, ऐसी स्थिति में निर्धारित शुल्क रू0 3665/: की दर से फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान समाज कल्याण विभाग द्वारा न होने के कारण विश्वविद्यालय को आर्थिक क्षति हो रही है।"* इस क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि उक्त पत्र के साथ भेजी गयी छात्रवृत्ति की सूची में उल्लिखित जिन छात्र/छात्राओं द्वारा निर्धारित वचनबद्धता–पत्र/शपथपत्र (जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा प्रमुख सचिव, समाज कल्याण को प्रेषित पत्र में शासन स्तर से होने वाला अन्तिम निर्णय छात्रों को मान्य होगा) पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं तथा जो दिनांक 29/03/2016 (मंगलवार) तक हस्ताक्षर कर अधिष्ठाता, छात्र कल्याण को उपलब्ध करा देंगें उनका परीक्षाफल निर्गत कर दिया जाय।

इसकी पुनः समीक्षा अधिष्ठाता छात्र कल्याण द्वारा आगामी छः माह में करके वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा। साथ ही समिति ने यह भी सुझाव दिया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के अगले सत्र 2015–16 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के शुल्क हेतु प्राप्त चालान में स्पष्ट रूप से अनुमोदित वार्षिक नानरिफण्डेबल अनिवार्य शुल्क, जो छात्रवृत्ति के आवेदन के कालम 25 में भरा जाता है, का स्पष्ट उल्लेख भी किया जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार –

(क) सेमेस्टर परीक्षा तिथि निर्धारण पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि सेमेस्टर परीक्षा दिनांक 01/05/2016 से 15/05/2016 तक यथासम्भव करा ली जाय तथा मूल्यांकन का कार्य केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कराया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति